

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1193)/2017/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती सुमिता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (हाल जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोलिडा, खण्ड पिपराली (सीकर) को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम-112 के तहत निम्नानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 30.11.2016 से 29.11.2018 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश।
2. दिनांक 30.11.2018 से 29.03.2019 तक 120 दिवस का उपाजित अवकाश।
3. दिनांक 30.03.2019 से 30.11.2019 तक 246 दिवस का असाधारण अवकाश।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 10/04/17

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1193)/2017/497

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिपराली (सीकर)।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलिडा, खण्ड पिपराली (सीकर)।
4. प्रधानाचार्य, अखिल भारती विद्यापीठ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सीकर।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर